[राज्य सभा द्वारा 6 मई, 2015 को पारित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 15–सी

[दि कान्सटिट्यूशन (वन हन्डरेड एंड नाइनटीन्थ अमेंडमेंट) बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा राज्यक्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्यक्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम ।

2. इस अधिनियम में,— परिभाषाएं।

(क) "अर्जित राज्यक्षेत्र" से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकॉल में समाविष्ट तथा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश से अर्जन किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है ;

(ख) "नियत दिन" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र

में, अधिसूचना द्वारा, भारत-बांग्लादेश करार तथा उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों का, जिनका इस प्रकार अर्जन और अंतरण कराए जाने और उस प्रयोजन के लिए अभ्यंकन कराए जाने के पश्चात् बांग्लादेश से राज्यक्षेत्रों के अर्जन और बांग्लादेश को राज्यक्षेत्रों के अंतरण के लिए तारीख नियत करे ;

(ग) "भारत-बांग्लादेश करार" से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन और संबद्ध विषयों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच तारीख 16 मई, 1974 को हुआ करार, तारीख 26 दिसम्बर, 1974, तारीख 30 दिसम्बर, 1974, तारीख 7 अक्तूबर, 1982 और तारीख 26 मार्च, 1992 का पत्र विनिमय तथा भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हुए तारीख 6 सितम्बर, 2011 के उक्त करार का प्रोटोकॉल अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत उद्धरण तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं ;

(घ) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकॉल में समाविष्ट तथा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को अंतरित किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है ।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन ।

3. संविधान की पहली अनुसूची में, नियत दिन से ही,—

(क) असम राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां सशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे ;

(ग) मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र, जो पहली अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं" शब्द, अंक और कोष्ठक, अंत में, जोड़े जाएंगे ;

(घ) त्रिपुरा राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे ।

पहली अनुसूची

[धारा 2 (क), धारा 2 (ख) और धारा 3 देखिए]

भाग - 1

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (I) (ख) (ii) (iii) (iv) (v) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र।

भाग - 2

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (I) (ग) (i) से संबंधित अर्जित राज्यक्षेत्र।

भाग - 3

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1 (12) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 (II) 3(I) (क) (iii) (iv) (v) (vi) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र।

दूसरी अनुसूची

[धारा 2 (ख), धारा 2 (घ) और धारा 3 देखिए]

भाग - 1

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (I) (घ) (i) (ii) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

भाग - 2

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (I) (ख) (i) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

भाग - 3

तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1 (12) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 6 सितम्बर, 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 (II) 3 (I) (क) (i) (ii) (vi) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

तीसरी अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

I. भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबद्ध विषयों से संबंधित तारीख 16 मई, 1974 के भूमि सीमा करार से उद्धरण

अनुच्छेद 1 (12): विदेशी अंत: क्षेत्र (एन्क्लेव)

बांग्लादेश स्थित भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित बांग्लादेश एन्क्लेवों का पैरा 14 में उल्लिखित एन्क्लेवों को छोड़कर, बांग्लादेश को मिलने वाले अतिरिक्त क्षेत्र के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना, शीघ्रातिशीघ्र आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 2:

भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस बात के लिए सहमत हैं कि पहले से अभ्यंकित किए गए क्षेत्रों में प्रतिकूल कब्जे वाले राज्यक्षेत्र, जिनके संबंध में सीमा पट्टी मानचित्र पहले से तैयार किए जा चुके हैं, पूर्णाधिकारियों द्वारा सीमा पट्टी मानचित्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद छह मास के भीतर आदान-प्रदान किए जाएंगे। वे यथाशीघ्र सुसंगत मानचित्रों पर और किसी भी दशा में 31 दिसम्बर, 1974 के अपश्चात् हस्ताक्षर कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों, जिनकी बाबत सीमांकन कार्य पहले ही किया जा चुका है, के मानचित्रों के मुद्रण हेतु शीघ्र उपाय किए जाएं। इनका मुद्रण और इन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर 31 मई, 1975 तक करवा लिए जाने चाहिएं, ताकि इन क्षेत्रों में प्रतिकूलत: धारित कब्जों का आदान-प्रदान 31 दिसम्बर, 1975 तक किया जाए। जिन सेक्टरों का अभी भी सीमांकन किया जाना है, राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का हस्तान्तरण संबंधित सीमा पट्टी मानचित्रों पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के छह मास के भीतर किया जाए।

II. भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबद्ध विषयों से संबंधित तारीख 6 सितम्बर, 2011 के भूमि सीमा करार के प्रोटोकॉल से उद्धरण

अनुच्छेद 2:

(II) 1974 के करार के अनुच्छेद 1, खंड (12) का निम्नानुसार कार्यान्वयन किया जाएगा:

एन्क्लेव

संयुक्त रूप से सत्यापित और डी॰जी॰एल॰आर॰ एंड एस॰, बांग्लादेश तथा डी॰एल॰आर॰ एंड एस॰, पश्चिमी बंगाल (भारत) के स्तर पर अप्रैल, 1997 में हस्ताक्षर किए गए भू-कर एन्क्लेव मानचित्रों के अनुसार बांग्लादेश स्थित 111 भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित 51 बांग्लादेश एन्क्लेवों का बांग्लादेश को मिलने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना आदान-प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 3:

(I) 1974 के करार के अनुच्छेद 2 का कार्यान्वयन निम्नानुसार किया जाएगा:

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच यह करार हुआ है कि प्रतिकूल कब्जे में धारित राज्यक्षेत्रों के लिए नियत सीमा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से अवधारण किया गया था और अपने-अपने प्रतिकूल कब्जा भू-क्षेत्र सूचक मानचित्र (एपीएल मानचित्र) में जिसे दिसम्बर, 2010 और अगस्त, 2011 के बीच दोनों देशों के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है पूर्णतया चित्रित किया गया था, जिनका पूर्णतया वर्णन नीचे खंड (क) से खंड (घ) में किया गया है।

सुसंगत सीमा पट्टी मानचित्रों को मुद्रित किया जाएगा और उन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अंतरण एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पूर्ण किया जाएगा। ऊपर वर्णित सूचक मानचित्रों में यथा चित्रित सीमा का अभ्यंकन निम्नानुसार होगा:

(क) पश्चिमी बंगाल सेक्टर

(i) बौसमारी-मधुगरी (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 154/5-एस से 157/1-एस से होते हुए मथबंगा नदी के पुराने बहाव मार्ग के मध्य तक जैसा कि 1962 के समेकन मानचित्र में चित्रित है एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) अंधारकोठ (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 152/5-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 153/1-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(iii) पकुरिया (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 151/1-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 152/2-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(iv) चार महिष्कुंडी (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 153/1-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 153/9-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(v) हरिपाल/खुतादाह/बटेली/सपामेरी/एलएन पुर (पटारी) (नौगांव-मालदा) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 242/एस/13 से सीमा स्तंभ सं॰ 243/7-एस/5 को जोड़ने वाली रेखा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून, 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(vi) बेरुबाडी (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) क्षेत्र

बांग्लादेश द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी क्षेत्र (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) और भारत द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाड़ी और सिंघपारा-खुडीपारा (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) में 1996-1998 के दौरान संयुक्त रूप से किए गए अभ्यांकन के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी।

(ख) मेघालय सेक्टर

(i) लुभाचेरा-नूनचेरा

लईलांग-बलिचेरा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1315/4-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1315/15-एस तक लईलांग-नूनचेरा में सीमा स्तंभ सं॰ 1316/1-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1316/11-एस तक लईलांग-लहिलिंग में सीमा स्तंभ सं॰ 1317 से सीमा स्तंभ सं॰ 1317/13-एस तक और लईलांग-लुभाचेरा में सीमा स्तंभ सं॰ 1318/1-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1318/2-एस तक के चाय बागानों के किनारे तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि दिसंबर, 2010 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) पिरडीवाह/पहुआ क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1270/1-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1271/1-टी तक, संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण और परस्पर सहमति अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकारों के बीच सहमति हुई कि पिरडीवाह गांव से भारतीय राष्ट्रिकों को उस मानचित्र जिस पर सहमति हुई है, के बिंदु सं॰ 6 के निकट पियांग नदी से पानी लेने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) लिंगखाट क्षेत्र

(कक) लिंगखाट-I/कुलुमचेरा और लिंगखाट-II/कुलुमचेरा

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1264/4-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1265 और सीमा स्तंभ सं॰ 1265/6-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1265/9-एस तक उस रेखा के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी जैसाकि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और परस्पर सहमति हुई थी।

(कख) लिंगखाट-III/सोनारहाट

दक्षिण दिशा के नाले के साथ-साथ विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1266/13-एस से होते हुए जहां वह पश्चिम दिशा में दूसरे नाले तक मिलता है सीमा रेखा खींची जाएगी और उसके पश्चात् यह पूर्व में स्थित नाले के उत्तरी किनारे से होते हुए संदर्भ स्तंभ सं॰ 1267/4-आर-बी और 1267/3-आर-आई के उत्तर में विद्यमान अंतरराष्ट्रीय सीमा तक की होगी।

(iv) दावकी/तमाबिल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1275/1-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1275/7-एस को एक सीधी रेखा से मिलाकर सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकार इस क्षेत्र में "शून्य रेखा" पर बाड़ लगाने पर सहमत हुए।

(v) नलजूरी/श्रीपुर क्षेत्र

(कक) नलजूरी-I

दक्षिण दिशा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1277/2-एस से पट्टी मानचित्र सं॰ 166 में यथा उल्लिखित तीन प्लॉटों तक सीमा एक रेखा होगी, जिसे सीमा स्तंभ सं॰ 1277/5-टी से बहने वाले नाले से मिलाया जाएगा और तत्पश्चात् उसे दक्षिण दिशा में नाले के पश्चिमी किनारे से होते हुए बांग्लादेश पक्ष में स्थित 2 प्लॉटों तक ले जाया जाएगा तत्पश्चात् वहां से वह पूर्व की ओर सीमा स्तंभ सं॰ 1277/4-एस से दक्षिण दिशा में खींची गयी रेखा से मिला दिया जाएगा।

(कख) नलजूरी-III

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1278/2-एस से सीमा स्तंभ सं॰ 1279/3-एस तक एक सीधी रेखा खींची जाएगी।

(vi) मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र

पक्षकारों के बीच सहमति हुई कि भारतीय राष्ट्रिकों को काली मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी और मुक्तापुर की ओर के किनारे से मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र में स्थित जलाशय से पानी भरने और उसमें मछली पकड़ने के अधिकार का प्रयोग करने की भी अनुमति दी जाएगी।

(ग) त्रिपुरा सेक्टर

(i) त्रिपुरा/मौलवी बाजार क्षेत्र में चंदन नगर-चंपाराय चाय बागान क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1904 से सीमा स्तंभ सं॰ 1905 तक सोनारायछेडा नदी के साथ सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और जुलाई, 2011 में सहमति हुई थी।

(घ) असम सेक्टर

(i) असम सेक्टर में कालाबारी (बोरोईबरी) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ 1066/24-टी से सीमा स्तंभ सं॰ 1067/16-टी तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और अगस्त, 2011 में सहमति हुई थी।

(ii) असम सेक्टर में पल्लाथाल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं॰ 1370/3-एस से 1371/6-एस से होते हुए चाय बागान के बाहरी किनारे तक और पान बागान के बाहरी किनारे से होते हुए सीमा स्तंभ सं॰ 1372 से 1373/2-एस तक सीमा रेखा खींची जाएगी।

III. तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1 (12) और करार के प्रोटोकॉल, तारीख 6 सितंबर, 2011 के अनुसरण में भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान-प्रदान की सूची

अ. बांग्लादेश स्थित आदान-प्रदान योग्य भारतीय एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित:—

क्रम सं०	छिटों के नाम	छिट सं०	पुलिस स्टेशन बांग्लादेश के भीतर स्थित	पुलिस स्टेशन पश्चिमी बंगाल के भीतर स्थित	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
			क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव		
1.	गराटी	75	पोचागर	हल्दीबाड़ी	58.23
2.	गराटी	76	पोचागर	हल्दीबाड़ी	0.79
3.	गराटी	77	पोचागर	हल्दीबाड़ी	18
4.	गराटी	78	पोचागर	हल्दीबाड़ी	958.66
5.	गराटी	79	पोचागर	हल्दीबाड़ी	1.74
6.	गराटी	80	पोचागर	हल्दीबाड़ी	73.75
7.	बिंगीमारी भाग-I	73	पोचागर	हल्दीबाड़ी	6.07
8.	नजीरगंज	41	बोडा	हल्दीबाड़ी	58.32
9.	नजीरगंज	42	बोडा	हल्दीबाड़ी	434.29
10.	नजीरगंज	44	बोडा	हल्दीबाड़ी	53.47
11.	नजीरगंज	45	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.07
12.	नजीरगंज	46	बोडा	हल्दीबाड़ी	17.95
13.	नजीरगंज	47	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.89
14.	नजीरगंज	48	बोडा	हल्दीबाड़ी	73.27
15.	नजीरगंज	49	बोडा	हल्दीबाड़ी	49.05
16.	नजीरगंज	50	बोडा	हल्दीबाड़ी	5.05
17.	नजीरगंज	51	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.77
18.	नजीरगंज	52	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.04
19.	नजीरगंज	53	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.02
20.	नजीरगंज	54	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.87
21.	नजीरगंज	55	बोडा	हल्दीबाड़ी	12.18
22.	नजीरगंज	56	बोडा	हल्दीबाड़ी	54.04
23.	नजीरगंज	57	बोडा	हल्दीबाड़ी	8.27
24.	नजीरगंज	58	बोडा	हल्दीबाड़ी	14.22
25.	नजीरगंज	60	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.52
26.	पुटीमारी	59	बोडा	हल्दीबाड़ी	122.8
27.	दैखाता छट	38	बोडा	हल्दीबाड़ी	499.21
28.	सल्बरी	37	बोडा	हल्दीबाड़ी	1188.93
29.	काजल दिघी	36	बोडा	हल्दबाड़ी	771.44
30.	नटकटोका	32	बोडा	हल्दीबाड़ी	162.26

1	2	3	4	5	6
31.	नटकटोका	33	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.26
32.	बेउलाडांगा छट	35	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.83
33.	बलापारा लागराबार	3	देबीगंज	हल्दीबाड़ी	1752.44
34.	बरा खनकिखरीजा सितलदहा	30	डिमला	हल्दीबाड़ी	7.71
35.	बरा खनकिखरीजा सितलदहा	29	डिमला	हल्दीबाड़ी	36.83
36.	बराखनगीर	28	डिमला	हल्दीबाड़ी	30.53
37.	नगरजीकोबरी	31	डिमला	हल्दीबाड़ी	33.41
38.	कुचलीबारी	26	पटग्राम	मेकलीगंज	5.78
39.	कुचलीबारी	27	पटग्राम	मेकलीगंज	2.04
40.	बरा कुचलीबारी	थाना मेकलीगंज के जे॰एल॰ 107 का फ्रेगमेंट	पटग्राम	मेकलीगंज	4.35
41.	जमालोहा-बेलापुखारी	6	पटग्राम	मेकलीगंज	5.24
42.	उपनचौकी कुचलीबारी	115/2	पटग्राम	मेकलीगंज	0.32
43.	उपनचौकी कुचलीबारी	7	पटग्राम	मेकलीगंज	44.04
44.	भोथनरी	11	पटग्राम	मेकलीगंज	36.83
45.	बालापुखारी	5	पटग्राम	मेकलीगंज	55.91
46.	बाराखानगीर	4	पटग्राम	मेकलीगंज	50.51
47.	बाराखानगीर	9	पटग्राम	मेकलीगंज	87.42
48.	छठ बोगडोकरा	10	पटग्राम	मेकलीगंज	41.7
49.	रतनपुर	11	पटग्राम	मेकलीगंज	58.91
50.	बोगडोकरा	12	पटग्राम	मेकलीगंज	25.49
51.	पुलकर डाबरी	थाना मेकलीगंज के जे॰एल॰ 107 का फ्रेगमेंट	पटग्राम	मेकलीगंज	0.88
52.	खरखरीया	15	पटग्राम	मेकलीगंज	60.74
53.	खरखरीया	13	पटग्राम	मेकलीगंज	51.62
54.	लोटमारी	14	पटग्राम	मेकलीगंज	110.92
55.	भूतबारी	16	पटग्राम	मेकलीगंज	205.46
56.	कोमट चांग्रबंधा	16 ए	पटग्राम	मेकलीगंज	42.8
57.	कोमट चांग्रबंधा	17 ए	पटग्राम	मेकलीगंज	16.01
58.	पनीसाला	17	पटग्राम	मेकलीगंज	137.66
59.	द्वारिकामारी खासबाश	18	पटग्राम	मेकलीगंज	36.5
60.	पनीसाला	153/पी	पटग्राम	मेकलीगंज	0.27

1	2	3	4	5	6
61.	पनीसाला	153/ओ	पटग्राम	मेकलीगंज	18.01
62.	पनीसाला	19	पटग्राम	मेकलीगंज	64.63
63.	पनीसाला	21	पटग्राम	मेकलीगंज	51.4
64.	लोटामारी	20	पटग्राम	मेकलीगंज	283.53
65.	लोटामारी	22	पटग्राम	मेकलीगंज	98.85
66.	द्वारिकामारी	23	पटग्राम	मेकलीगंज	39.52
67.	द्वारिकामारी	25	पटग्राम	मेकलीगंज	45.73
68.	छट भोथाट	24	पटग्राम	मेकलीगंज	56.11
69.	बाकाटा	131	पटग्राम	हथभंगा	22.35
70.	बाकाटा	132	पटग्राम	हथभंगा	11.96
71.	बाकाटा	130	पटग्राम	हथभंगा	20.48
72.	भोग्रामगुरी	133	पटग्राम	हथभंगा	1.44
73.	चेनाकाटा	134	पटग्राम	मेकलीगंज	7.81
74.	बांसकाटा	119	पटग्राम	मथबंगा	413.81
75.	बांसकाटा	120	पटग्राम	मथबंगा	30.75
76.	बांसकाटा	121	पटग्राम	मथबंगा	12.15
77.	बांसकाटा	113	पटग्राम	मथबंगा	57.86
78.	बांसकाटा	112	पटग्राम	मथबंगा	315.04
79.	बांसकाटा	114	पटग्राम	मथबंगा	0.77
80.	बांसकाटा	115	पटग्राम	मथबंगा	29.2
81.	बांसकाटा	122	पटग्राम	मथबंगा	33.22
82.	बांसकाटा	127	पटग्राम	मथबंगा	12.72
83.	बांसकाटा	128	पटग्राम	मथबंगा	2.33
84.	बांसकाटा	117	पटग्राम	मथबंगा	2.55
85.	बांसकाटा	118	पटग्राम	मथबंगा	30.98
86.	बांसकाटा	125	पटग्राम	मथबंगा	0.64
87.	बांसकाटा	126	पटग्राम	मथबंगा	1.39
88.	बांसकाटा	129	पटग्राम	मथबंगा	1.37
89.	बांसकाटा	116	पटग्राम	मथबंगा	16.96
90.	बांसकाटा	123	पटग्राम	मथबंगा	24.37
91.	बांसकाटा	124	पटग्राम	मथबंगा	0.28
92.	गोटामारी छिट	135	हातिबंधा	सितलकुची	126.59
93.	गोटामारी छिट	136	हातिबंधा	सितलकुची	20.02
94.	बनापचाई	151	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	217.29
95.	बनापचाई भीतरकुथी	152	लालमोनिरहाट	दिनहाटा	81.71

1	2	3	4	5	6
96.	दसिआर छारा	150	फुलबारी	दिनहाटा	1643.44
97.	दकुरहाट-दकिनिरकुथी	156	कुरीग्राम	दिनहाटा	14.27
98.	कलामती	141	भुरुंगामारी	दिनहाटा	21.21
99.	भाहोबगंज	153	भुरुंगामारी	दिनहाटा	31.58
100.	बाओतिकुरसा	142	भुरुंगामारी	दिनहाटा	45.63
101.	बरा कोआचुल्का	143	भुरुंगामारी	दिनहाटा	39.99
102.	गावचुल्का II	147	भुरुंगामारी	दिनहाटा	0.9
103.	गावचुल्का I	146	भुरुंगामारी	दिनहाटा	8.92
104.	दिघालतरी II	145	भुरुंगामारी	दिनहाटा	8.81
105.	दिघालतरी I	144	भुरुंगामारी	दिनहाटा	12.31
106.	छोटू गरलझोरा II	149	भुरुंगामारी	दिनहाटा	17.85
107.	छोटू गरलझोरा I	148	भुरुंगामारी	दिनहाटा	35.74
108.	जे०एल० नं० 38 के दक्षिणी छोर पर बिना नाम और जे०एल० नं० का 1 छिट* और जे०एल० नं० 39 के उत्तर पश्चिमी छोर (स्थानीय रूप से अशोक बाड़ी** के रूप में ज्ञात)	157	पटग्राम	मथबंगा	3.50

ख. फ्रेगमेंटेड छिट वाले एन्क्लेव

109.	(i) बेवलाडांगा	34	हल्दीबाड़ी	बोडा	862.46
	(ii) बेवलाडांगा	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
110.	(i) कोतभाजनी	2	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2012.27
	(ii) कोतभाजनी	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iii) कोतभाजनी	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iv) कोतभाजनी	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
111.	(i) दहाला	खागराबारी	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2650.35
	(ii) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iii) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(iv) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(v) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(vi) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	**17160.63**

* 29 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2012 तक कोलकाता में आयोजित एक सौ पचासवां (चौवनवां) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित।

** 18 सितंबर से 20 सितंबर, 2012 तक कूच बिहार में आयोजित एक सौ बावनवां (छप्पनवां) भारत-बांग्लादेश सम्मेलन द्वारा संशोधित।

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 से 12 अक्तूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 से 24 नवंबर, 1996 के दौरान जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों के साथ संयुक्त रूप से मिलान किया गया और उन्हें संगत बनाया गया है।

टिप्पणी

फील्ड सीजन 1996-97 के दौरान संयुक्त भूमि सत्यापन द्वारा उपर्युक्त क्रम सं॰ 108 में के एन्क्लेव अशोकाबाड़ी एन्क्लेव के रूप में के नाम की पहचान की गई।

ह॰/-9.4.97
बिग्रेडियर जे॰ आर॰ पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत
और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र
भारतीय सर्वेक्षण कलकत्ता

ह॰/-9.4.97
मो॰ शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
बांग्लादेश

आ. भारत स्थित आदान-प्रदान योग्य बांग्लादेशी एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित,—

क्रम सं॰	छिटों के नाम	पुलिस स्टेशन पश्चिम बंगाल के भीतर स्थित	पुलिस स्टेशन बांग्लादेश के भीतर स्थित	जे॰एल॰ सं॰	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
	क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव				
1.	छिट कुचलीबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	22	370.64
2.	कुचलीबारी की हिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	24	1.83
3.	बालापुखारी	मेकलीगंज	पटग्राम	21	331.64
4.	पनबारी सं॰-2 की छिट भूमि	मेकलीगंज	पटग्राम	20	1.13
5.	छिट पनबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	18	108.59
6.	धाबलसाती मिर्गीपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	15	173.88
7.	बामनदल	मेकलीगंज	पटग्राम	11	2.24
8.	छिट धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	14	66.58
9.	धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	13	60.45
10.	श्रीरामपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	8	1.05
11.	जोते निज्जमा	मेकलीगंज	पटग्राम	3	87.54
12.	जगतबेर सं॰-3 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	37	69.84
13.	जगतबेर सं॰-1 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	35	30.66
14.	जगतबेर सं॰-2 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	36	27.09
15.	छिट कोकोआबारी	मथबंगा	पटग्राम	47	29.49
16.	छित भांदारदाहां	मथबंगा	पटग्राम	67	39.96
17.	धाबलगुरी	मथबंगा	पटग्राम	52	12.5
18.	छिट धाबलगुरी	मथबंगा	पटग्राम	53	22.31
19.	धाबलगुरी सं॰-3 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	70	1.33
20.	धाबलगुरी सं॰-4 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	71	4.55
21.	धाबलगुरी सं॰-5 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	72	4.12
22.	धाबलगुरी सं॰-1 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	68	26.83
23.	धाबलगुरी सं॰-2 की छिट भूमि	मथबंगा	पटग्राम	69	13.95
24.	महिशमारी	सितलकुची	पटग्राम	54	122.77

1	2	3	4	5	6
25.	बुरा सराडुबी	सितलकुची	हातिबधा	13	34.96
26.	पालनापुर	सितलकुची	पटग्राम	64	506.56
27.	अमझोल	सितलकुची	हातिबधा	57	1.25
28.	किसमत भातरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	82	209.95
29.	दुर्गापुर	दिनहाटा	कालीगंज	83	20.96
30.	बंसुआ खामर गितालदाहा	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	1	24.54
31.	पाओतुकुथी	दिनहाटा	लालमोनिरहाट	37	589.94
32.	पश्चिम बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	38	151.98
33.	मध्य बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	39	32.72
34.	पूरबा बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	40	12.23
35.	मध्य मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	3	136.66
36.	मध्य छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	8	11.87
37.	पश्चिम छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	7	7.6
38.	उत्तर मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	2	27.29
39.	कछुआ	दिनहाटा	भुरुंगामारी	5	119.74
40.	उत्तर बंसजानी	तूफानगंज	भुरुंगामारी	1	47.17
41.	छत तिलाई	तूफानगंज	भुरुंगामारी	17	81.56
		ख. फ्रेगमेंटेड छिट वाले एन्क्लेव			
42.	(i) नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	65	
	(ii) नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	65	1397.34
	(iii) नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	65	
43.	(i) छिट नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	66	49.5
	(ii) छिट नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	66	
44.	(i) भतरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	81	577.37
	(ii) भतरीगाछ (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	कालीगंज	81	
	(iii) भतरीगाछ (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
45.	(i) कराला	दिनहाटा	फुलबारी	9	269.91
	(ii) कराला (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
	(iii) कराला (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	8	
46.	(i) सिबप्रसाद मुस्तफी	दिनहाटा	फुलबारी	8	373.2
	(ii) सिबप्रसाद मुस्तफी (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	6	

1	2	3	4	5	6
47.	(i) दक्षिण मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	571.38
	(ii) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(iii) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(iv) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(v) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
	(vi) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	6	
48.	(i) पश्चिम मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	4	29.49
	(ii) पश्चिम मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	4	
49.	(i) पूरबा छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	10	35.01
	(ii) पूरबा छिट मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	10	
50.	(i) पूरबा मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	11	153.89
	(ii) पूरबा मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरुंगामारी	11	
51.	(i) उत्तर धालदंगा	तूफानगंज	भुरुंगामारी	14	24.98
	(ii) उत्तर धालदंगा (फ्रेगमेंट)	तूफानगंज	भुरुंगामारी	14	
	(iii) उत्तर धालदंगा (फ्रेगमेंट)	तूफानगंज	भुरुंगामारी	14	
			कुल क्षेत्र		**7,110.02**

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 से 12 अक्तूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 से 24 नवंबर, 1996 के दौरान जलपाइगुड़ी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों के साथ संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें संगत बनाया गया है।

ह०/-
बिग्रेडियर जे० आर० पीटर
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत
और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता

ह०/-
मो० शफी उद्दीन
महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण
बांग्लादेश

GMGIPMRND—874RS(S3)—06.05.2015.